

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0-47/2019

R.C.M.S No-2019/00069

उनवान -सरकार बनाम नेमीचन्द पुत्र श्री मेधसिंह एवं जानकी प्रसाद कृष्णा डेयरी सुआ का बाग धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय


दिनांक -13.07.2019

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री नेमीचन्द पुत्र श्री मेधासिंह जाति ब्राह्मण निवासी सुआ का बाग धौलपुर एवं श्री जानकी प्रसाद प्रोपराईटर कृष्णा डेयरी सुआ का बाग धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.07.2017 को कृष्णा डेयरी सुआ का बाग धौलपुर का निरीक्षण करने के दौरान डेयरी में रखे लोहे के टैंक में लगभग 1500 लीटर मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर 2 लीटर दूध वास्ते नमूना जाँच अप्रार्थी से खरीदा गया। अप्रार्थी ने उक्त मिश्रित दूध आम जनता के विक्रय हेतु बताया गया जिसका अप्रार्थी के पास कोई खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं था। उक्त 2 लीटर मिश्रित दूध नमूना डी-1367 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 26.07.2017 के अनुसार उक्त मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड मिश्रित दूध का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड मिश्रित दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री नेमीचन्द पुत्र श्री मेधासिंह जाति ब्राह्मण निवासी सुआ का बाग धौलपुर एवं श्री जानकी प्रसाद प्रोपराईटर कृष्णा डेयरी सुआ का बाग धौलपुर पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 22,000/-रुपये (बाईस हजार रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चेतन चौहान)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज.)